

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
(Swasthya Bhawan 'C'-Scheme Jaipur)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/F-4III(28380)/2024/284

दिनांक:- 6/6/24

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पाली/जोधपुर/फलौदी।

विषय:-27 वर्षीय एसीपी स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके अधीन निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों के 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृति के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये हैं, मैं निम्न कमियां पाई गई हैं :-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पद (श्री/सुश्री/श्रीमती)	संबंधित कार्यालय का पत्र क्रमांक व दिनांक	आक्षेप/कमियां
1	सुरेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर	कार्यालय पत्रांक 2667 दिनांक 26.3.2023	वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 6.10.2023 व इस के पश्चात एसीपी के स्थान पर एमएसीपी दिये जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग के परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कार्मिकों को एमएसीपी के स्थान पर एसीपी ही प्राप्त की जानी है तो कार्मिक दिनांक 05.01.2024 तक एसीपी लेने का विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो कार्मिक को एमएसीपी ही स्वीकृत की जावेगी। अतः कार्मिक ने दिनांक 05.01.2024 तक एसीपी लिये जाने का विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो उन्हें एसीपी स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है अन्य सभी कार्मिकों को एमएसीपी स्वीकृत किया जाना है विकल्प पत्र की छाया प्रति भी चैकलिस्ट के साथ संलग्न करें।
2	परशुराम नर्सिंग ऑफिसर	कार्यालय पत्रांक 2667 दिनांक 26.3.2023	
3	बुधाराम सुधार, नर्सिंग ऑफिसर	कार्यालय पत्रांक 1059-64 दिनांक 01.04.2024	

(राकेश कुमार शर्मा
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज० जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/F-4III(28380)/2024/284

दिनांक:- 6/6/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
- प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7701533



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.06.06 12:43:06 IST
Reason: Approved